

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 120 / 2008 / जयपुर
अपील संख्या 121 / 2008 / जयपुर
अपील संख्या 122 / 2008 / जयपुर
अपील संख्या 123 / 2008 / जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन-प्रथम, जयपुर

अपीलीर्थी

बनाम
मैसर्स अनिल स्पेशल स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
जयपुर

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक
श्री आलकेश शर्मा
अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 23.01.2015

निर्णय

ये चारों अपीलें अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की ओर से उपायुक्त(अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 191, 52/आरएसटी/अपील्स-चतुर्थ/2005-06/जेपीसी/150, 151/सीएसटी/अपील्स-चतुर्थ/2005-06/जेपीसी में पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 24.02.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा उन्होंने, कर निर्धारण अधिकारी राजस्थान द्वारा विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 29, 65, 58 एवं 69 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956(जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के कर निर्धारण पृथक-पृथक दिनांक 12.12.2005 को पारित करते हुए निम्न तालिका के अनुसार कर, ब्याज एवं शास्तियाँ आरोपित की गयी है, को अपास्त किया है :-


अपील संख्या	कर	ब्याज	शास्ति
120/08	225681 / -	70,014 / -	4,51,702 / -
121/08	17,564 / -	6,050 / -	86,422 / -
122/08	3,78,082 / -	52,931 / -	7,56,164 / -
123/08	32,229 / -	10013 / -	64459 / -

२-

चूँकि चारों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से तथा एक ही व्यवहारी से सम्बन्धित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियाँ चारों पत्रावलियों पर रखी जाये।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 29.03.2005 को फर्म के मैनेजर (लीगल) श्री हरीश त्रिपाठी की उपस्थिति में किया गया। व्यवसाय स्थल पर पायी गयी लेखा पुस्तकों की जांच पर पाया गया कि फर्म द्वारा **Cold Roll Steel Strips, Hardened and Tempered Steel, Circular Steel Disc and Steel Scrap** आदि का निर्माण कर विक्रय किया जाता है। जांच पर पाया गया कि **Disc SCT Saw** व **Disc for Diamond Tipped Circular Saw** का विक्रय 4 प्रतिशत की दर से किया गया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह माना गया कि उक्त विक्रय पर सामान्य कर दर से कर वसूल किया जाना चाहिए था। अतः उक्त विक्रय पर 10 प्रतिशत की दर से अन्तर कर व इस पर 15 प्रतिशत की दर से सरचार्ज, अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत कर दुगुनी शास्ति एवं देय कर जमा नहीं कराने के कारण अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित किया, जिसे अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विवादित करने पर, उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर, ब्याज एवं शास्तियों को अपास्त किया है, जिससे असन्तुष्ट होकर विभाग की ओर से उपरोक्त चारों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी फर्म का सर्वेक्षण करने पर व्यवसाय स्थल पर पायी गयी लेखा पुस्तकों की जांच पर पाया गया कि फर्म द्वारा **Cold Roll Steel Strips, Hardened and Tempered Steel, Circular Steel Disc and Steel Scrap** आदि का निर्माण कर विक्रय किया जाता है। जांच पर पाया गया कि आलोच्य अवधियों में **Disc SCT Saw** व **Disc for Diamond Tipped Circular Saw** का विक्रय 4 प्रतिशत की दर से किया गया है जबकि उक्त विक्रय 10 प्रतिशत की दर से किया जाना चाहिए था, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त विक्रय पर अन्तर कर दर से कर व अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत कर दुगुनी शास्ति एवं देय कर जमा नहीं कराने के कारण अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित किया, जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से अपास्त किया गया है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी ने सामान्य

 2-

डिस्क की बिक्री नहीं की है अपितु Disc for Diamond Tipped Circular saw की बिक्री की है। उक्त वस्तु का उपयोग केवल विशिष्ट मशीनरी पर ही किया जा सकता है जिसकी कर दर रा.बि.क.अ. के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है अतः इस पर सामान्य कर दर लागू होती है एवं इसका उपयोग केवल औद्योगिक ईकाईयों ही करती हैं। अतः इस पर सामान्य कर दर से जो रा.बि.क.अ., 1994 के तहत घोषित है लागू रहेगी। साथ ही अपीलार्थी ने जानबूझकर कम कर दर से कर अदा किया है जो करापवंचन का द्योतक है। अतः धारा 65 रा.बि.क.अ., 1994 के तहत आरोपित शास्ति विधि समस्त है एवं कर अदा नहीं करने के कारण धारा 58 के तहत अवधारित ब्याज विधि सम्मत है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं, जिन्हे अपास्त कर विभाग की ओर से प्रस्तुत अपीलें स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों को यथावत रखा जाये।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रत्यर्थी कम्पनी का दिनांक 29.03.2005 को कर अधिकारी अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण किया गया, जिस पर पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी स्टील शीट्स व स्टील डिस्क का निर्माण व बिक्री करते हैं। स्टील शीट एवं स्टील डिस्क दोनों एक ही कर दर योग्य वस्तु है। प्रत्यर्थी ने अधिनियम के अन्तर्गत घोषित 4 प्रतिशत की दर से कर अदा किया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने डिस्क को अलग वस्तु मानते हुए इसे सामान्य कर दर से कर योग्य मानते हुए इस पर 10 प्रतिशत की दर से करारोपण किया है। आगे कथन किया कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 14 मद नं. 8 के अनुसार डिस्क 4 प्रतिशत की दर से ही कर योग्य वस्तु है। अपीलार्थी ने आलौच्य अवधि में Disc for Diamond Tipped Circular saw का विक्रय किया है जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कर देयता बनती है अपने कथन के समर्थन में (2005) 13 टीयूडी पेज 11 (आरएचसी) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मै. विश्वकर्मा इंजिनियरिंग वर्क्स, जयपुर एवं (2006) 344 यू.पी.टी.सी. (मद्रास उच्च न्यायालय) मै. आई. पी. रिंग्स लि, चैन्नई बनाम मै. तमिलनाडु टैक्सेशन स्पेशल ट्रिब्यूनल, चैन्नई और अन्य उद्धरित किये। उन्होंने आगे कथन किया कि वक्त सर्वेक्षण एवं बाद में भी प्रत्यर्थी के पास कोई उचंत बिक्री नहीं पायी केवल मत विभिन्नता के आधार पर करारोपण किया गया है एवं धारा 65 के तहत शास्ति आरोपित की गयी है जो अविधिक है। साथ ही यह भी कथन किया कि मत भिन्नता के आधार पर अधिनियम की धारा 65 के तहत शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। अपने उक्त कथन के समर्थन में (1997) वो. 106 पेज 287 (मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय) मै. वोरा वायर्स बनाम आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश एवं (1994) वो. 993 पेज 187 (सु.को.) मै. तेलंगाना स्टील इण्ड. और अन्य बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य व

२

अन्य उद्धृत करते हुए आरोपित कर, शास्ति व ब्याज को अपास्त किए जाने हेतु निवेदन किया। उन्होंने न्यायिक दृष्टान्तों के साथ कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 917 से 919/2012/जयपुर एवं अपील संख्या 2109 से 2111/2012/जयपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन,जोन-प्रथम, जयपुर बनाम मैसर्स मेनन पिस्टन रिंग्स प्रा.लि. जयपुर एवं मैसर्स फेडरल मुगल गोयेट्ज(इण्डिया) प्रा.लि.,जयपुर (37 टैक्स अप डेट पेज 189) में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2013 को उद्धृत कर प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्षों की ओर से उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों पर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी फर्म का सर्वेक्षण करने पर व्यवसाय स्थल पर पायी गयी लेखा पुस्तकों की जांच पर पाया गया कि फर्म द्वारा Cold Roll Steel Strips, Hardened and Tempered Steel, Circular Steel Disc and Steel Scrap आदि का निर्माण कर विक्रय किया जाता है। जांच पर पाया गया कि Disc SCT Saw व Disc for Diamond Tipped Circular Saw का विक्रय 4 प्रतिशत की दर से किया गया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह माना गया कि उक्त विक्रय पर सामान्य कर दर से कर वसूल किया जाना चाहिए था। अतः उक्त विक्रय पर 10 प्रतिशत की दर से अन्तर कर व इस पर 15 प्रतिशत की दर से सरचार्ज, अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत कर दुगुनी शास्ति एवं देय कर जमा नहीं कराने के कारण अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित किया,जिसे अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विवादित करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर,ब्याज एवं शास्तियों को अपास्त किया है।

हस्तगत प्रकरणों में प्रत्यर्थी Cold Roll Steel Strips, Hardened and Tempered Steel, Circular Steel Disc and Steel Scrap आदि का निर्माण कर विक्रय करता है। प्रत्यर्थी कच्चे माल के रूप में आयरन एवं स्टील शीट्स का उपयोग करता है। इसमें यह विवादित नहीं है कि Disc for Diamond Tipped Circular Saw का निर्माण एवं विक्रय करता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रत्यर्थी आयरन एवं स्टील शीट्स का विक्रय नहीं करता है,अपितु उनसे एक विशिष्ट प्रकार के डिस्क का निर्माण करता है जो केवल Disc for Diamond Tipped Circular Saw के लिए ही उपयोगी है। इस प्रकार उक्त वस्तु को सामान्य डिस्क नहीं कहा जा सकता और वह एक प्रकार से विशिष्ट मशीनरी का अंग है। इस



सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 2(27) एवं केन्द्रीय अधिनियम, 1956 की धारा 14(viii) का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-


"2(27) "Manufacture" includes every processing of goods which bring into existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be notified by the State Government."

"14(viii) "Certain goods to be of special importance in inter-trade or commerce :-

(viii)-discs, rings, forgings and steen castings"

अधिनियम एवं केन्द्रीय अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अनुसार डिस्क पर 4 प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित है।

विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.02.2007 में (2005) 13 टी यू डी पेज 11(आरएचसी) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स विश्वकर्मा इंजीनियरिंग वर्क्स, जयपुर, (2006) 344 यू.वी.टी.सी. (मद्रास उच्च न्यायालय) मैसर्स आई.पी.रिंग्स लिमिटेड, चेन्नई बनाम मैसर्स तमिलनाडु टैक्सेशन स्पेशल ट्रिब्यूनल, चेन्नई और अन्य, (1997) वो. 106 पेज 287 (मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय) मैसर्स वोरा वायर्स बनाम आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्य प्रदेश, (1994) वो. 993 पेज 187 (सं.को.) मैसर्स तेलगांना स्टील इण्डस्ट्रीज और अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य व अन्य के प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के उद्धरण अंकित करते हुए यह निष्कर्ष दिया है कि प्रत्यर्थी एक निर्माता है जिसे वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र में भी आवेदन करते समय अपने आपको डिस्क निर्माता घोषित किया है साथ ही भारत सरकार द्वारा स्थापित वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय औद्योगिक सचिवालय से भी डिस्क निर्माता हेतु प्रमाण पत्र जारी किया गया है, के प्रकाश में डिस्क की कर दर 4 प्रतिशत मानकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Disc SCT Saw व Disc for Diamond Tipped Circular Saw का विक्रय 4 प्रतिशत की दर के बजाय सामान्य कर दर से माने जाने को अनुचित मानते हुए आरोपित कर एवं ब्याज को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों के अंशों को अपीलाधीन आदेश में उद्धरित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर, सरचार्ज एवं ब्याज को अपास्त किया है।



कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 917 से 919/2012/जयपुर एवं अपील संख्या 2109 से 2111/2012/जयपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर बनाम मैसर्स मेनन पिस्टन रिंग्स प्रा.लि. जयपुर एवं मैसर्स रेडरल मुगल गोयेट्ज(इण्डिया) प्रा.लि., जयपुर (37 टैक्स अप डेट पेज 189) में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2013 में भी "Discs, rings, for goings and steel castings" पर 4 प्रतिशत की कर देयता निर्धारित की है, जिसका सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :-

"Section 14 of the CST Act Further provides the list of the goods which are considered as declared goods sub clause (viii) of clause (iv) of section 14 under CST Act follows :

'Discs, rings, forgings and steel castings'

The respondent contended that in the case of *I.P. Rings Ltd (supra)*, the Hon'ble Madras High Court considered the classification of piston rings under the Tamil Nadu General Sales Tax Act, 1959. The dispute before the Hon'ble Court was whether piston rings would be classified as 'automobile components' or 'Steel Rings' as declared goods.

In the aforesaid case the assessing authority treated the goods as classifiable under the entry "automobile components" and levied sales tax at the applicable rate of eight percent corresponding to the said entries 3 and 111 of the First Schedule to the Tamil Nadu General Sales Tax Act, 1959. All the statutory authorities including the Special Tribunal confirmed the assessment order. From the purchase order of the petitioner therein, the assessing officer concluded that the goods supplied by the petitioner were double taper rings, compressor rings, oil rings for use in manufacturing of automobiles and oil engines. The assessing authority stated that the goods in common parlance were called motor parts (ring set) and not 'rings' (iron and steel) and that the rings sold as 'ring sets' were final product to be used in specified pistons.

The Hon'ble Court section 14 of the CST Act and held that the rings manufactured by the petitioner therein were nothing but steel rings finely made up of various sizes. The Court observed that even though there was a small cut at both ends of the rings but the non-joining of the ends would not make the goods other than steel rings as they were very much in the circular form. In fact in the instant case also it was not disputed that the goods of the respondent under question dispute are not 'rings'.

The Hon'ble Court further held that the fact that the goods were polished and the buyer used the steel rings supplied by the petitioner as piston rings or oil-engine rings did not in anyway alter the basic fact that what was supplied by the petitioner therein was in fact a steel ring as mentioned in the aforesaid list of goods under section 14 of the CST Act. Therefore the contention that the rings sold were final product to be used in specified vehicles like truck, Mercedes Car, Geep, Tractor,

Scooter, Motorcycle and therefore were automobile parts was erroneous and bad in law.


22. The learned counsel for the respondents dealer vehemently contended that the aforesaid cases were squarely applicable to the facts of the present case and answered all the objections raised by the Assessing Authority in the impugned assessment orders; as such, there was no doubt that the piston rings sold in set were declared goods under clause (iv) of section 14 of the CST Act and classifiable as '**Rings**' falling under sub clause (viii) thereof : and, thus, exigible to tax @ 4 percent under entry no. 42 of Schedule IV of the Act upto 08.03.2010 and thereafter under entry 7 of Schedule 6. The learned counsel to the respondents argued that his case was covered by judgment of the DB of the Board delivered in matter of M/s Shri Ram Pistons, reported in (2012)32 TUD 279 (D.B. RTB)

23. He contended that the Hon'ble Punjab VAT Tribunal dealing with the same issue in the case of Federal Mogul (Goetze) India Ltd. vide its order dated 10.05.2010 held as under:

There are 16 entries given in the details of the goods under head iron and steel. Discs, rings, forgings and steel castings have been specified to be the items under the head iron and steel as declared goods. Whether such items are used by the purchaser as automobile parts or any purpose is not material. The material is as to whether concerned item manufactured is out of iron or not. In the case of piston rings being manufactured by appellant, 90 to 92% iron is used and the other material used are chemicals etc. just 8 to 10%. Even if this item is used as automobile parts by the Automobile industry or as automobiles components, still the fact remains that the item piston rings manufactured by the appellant shall be the item made out of iron and steel and shall be covered in sub clause(VIII) of clause (IV) of section 14 the CST Act especially when the word rings is there in that entry.

24. The Assessing Authority has totally misdirected itself where he considered that as the piston ring is used in the automobile they are automobile part/ accessories as it conformed to the end use of the product. The Hon'ble Madras High Court and also the Punjab VAT Tribunal have held that petitioner supplying the rings as piston rings or oil engine ring does not in any way alter the basic fact that what is supplied is in fact a steel ring. The court by this observation has meant that the nomenclature of the product is also not a determinative factor for classification.

25. It would be worth while to note that Hon'ble Madras High Court considering the issue whether exhaust pipe was a 'steel tube' as specified in section 14 of the CST Act or parts and accessories of Motor Vehicle held that they were declared goods. The reasoning given by the court, that the use to which the product was put to by the purchaser was irrelevant and further the state could not tax the goods by imposing a higher rate of tax indirectly when it was specifically restricted by section 15 of the CST Act read with Article 286(3) of the Constitution. This matter squarely fell in line with the facts and circumstances of the present case.



26. Further the Apex Court in the case of **Indian Aluminium Cables Ltd. versus Union of India** while considering whether the Properzi rods are wire rods or not have rejected the end use test and held that the process of manufacture is bound to undergo transformation with advancement in science and technology. The name of the end product may, by reason of the new technological processes, change, but the basic nature and article may answer the same description.

27. Similarly, it was so held in **Tube investment of India Ltd. V. Deputy Commercial Tax Officer [2003] 129 STC 238 (Mad.)** that sales tax levied on steel tubes supplied by the petitioner, though put to use by the buyer as exhaust pipes, could not exceed four percent. The fact that the appellant was selling the product piston rings as ringsets would not ipso facto take the piston ring out of the category mentioned in section 14 of the CST Act. Another fact that the piston rings were used in the automobile engine would not make the product fall under the residuary entry by applying the same analogy that the use to which such product was put was irrelevant for the purposes of classification.


28. The Hon'ble Apex Court in the landmark judgment of **Mauri Yeast India Pvt. Ltd. V. State of U.P. [2008] 14 VST 259 (SC)** in para 42 has held that:

"It is now a well-settled principle of law that in interpreting different entries, attempts shall be made to find out as to whether the same answers the description of the contents of the basic entry and only in the event it is not possible to do so, recourse to the residuary entry should be taken by way of last resort."

29. Also the Hon'ble Supreme Court in the case of **Bharat Forge and Press Industries (P) Ltd. V. CCE, (1990) 1 SCC 532**, held that an item would be said to have been covered under residuary item when it could not be covered by any other items of the schedule. Assessing Authority failed to consider the settled legal position regarding classification where the classification of the product had already been decided.

30. From the above quoted judgments, it is clear that said term is a generic term i.e. used to describe a genus. the term 'rings' refers to all types of rings and therefore the respondent's product, as it is a type of ring, is eligible to be classified under sub clause (VIII) of clause (IV) of section 14 of the CST Act; and, the entry would cover all type of rings and be exigible to tax @ 4%. Moreover, the case is covered by the aforesid judgment of the DB of Board in case of Shri Ram Pistons, in which the sale of ring sets has been decided as sale of declared goods classified under sub clause (VIII) of clause (IV) of section 14 of the CST Act as taxable @4%."

अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों पर विचार करने के अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें यह पीठ हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझती



है। अतः इस बिन्दु अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि करते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

जहां तक अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण का प्रश्न है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि में की गई बिक्री लेखा पुस्तकों से ही ली है एवं अभियोग का आधार केवल कर दर अन्तर है, इससे प्रत्यर्थी व्यवहारी का करापवंचन का दोषी मनोभाव प्रमाणित नहीं होता है और ना ही बिक्री छुपाया जाना प्रमाणित होता है, अतः अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को उचित नहीं कहा जा सकता है। विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा इसी आधार पर अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है, जिसमें भी हस्तक्षेप करने की गुन्जाईश नजर नहीं आती है। फलतः शास्ति के बिन्दु पर भी अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि करते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

परिणाम स्वरूप कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त चारों अपीलों अस्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष